डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश

सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / छात्रवृत्ति / 2025 / 8546 दिनांकः 10 अक्टूबर, 2025

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक
विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग–3 के उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 160/2025/2690/26-3-2025-1961934 दिनांक 06.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें उक्त पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2024–25 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत वंचित सभी वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय–सारणी निर्गत की गयी है।

अतः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थानों के निदेशक / प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों हेतु शासन द्वारा निर्गत समय–सारणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें, ताकि विश्वविद्यालय द्वारा ससमय कार्यवाही पूर्ण की जा सकें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, समाज कल्याण अनुभाग–3, उ0प्र0, शासन।
2. उप कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
3. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव

संख्या-160/2025/2690/26-3-2025-1961934

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 06 अक्टूबर, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल खोला जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2526/स0क0/शिक्षा-अ/9/2025-26 दिनांक 29 मई, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत वंचित सभी वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	**संस्थान द्वारा मास्टर डाटा लॉक करना (कक्षा 11-12 को छोड़कर)** मास्टर डाटा में प्रदेश की पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार ऐफिलिएटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	10 अक्टूबर, 2025 से 14 अक्टूबर, 2025 तक
2	**विश्वविद्यालय/ऐफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा फीस आदि का सत्यापन** प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ ऐफिलिएटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	18 अक्टूबर, 2025 तक
3	**जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन** प्रदेश के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना।	26 अक्टूबर, 2025 तक

(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
मुख्यालय

	छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रकिया	
4	**छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन**	27 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक
5	**छात्रों द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना** छात्रों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन का फाइनल सब्मिशन किया जाना।	01 नवम्बर, 2025 तक
6	**हार्ड कापी को छात्रों द्वारा वांछित संलग्रकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना** ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्रों द्वारा वांछित संलग्रकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	01 नवम्बर, 2025 तक
7	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना** छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्रों के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 नवम्बर, 2025 तक
8	**विश्वविद्यालय/ऐफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं ऐफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आंनलाइन सत्यापित करना; अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	03 नवम्बर, 2025 से 06 नवम्बर, 2025 तक
9	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS सॉफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र के लॉगिन पर उपलब्ध कराना।	03 नवम्बर, 2025 से 07 नवम्बर, 2025 तक
10	**त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना** छात्रों द्वारा किए गए ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्रों द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	08 नवम्बर, 2025 से 11 नवम्बर, 2025 तक
11	**छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना** शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों के आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 नवम्बर, 2025 तक
12	**एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी** छात्रों द्वारा सही किए गए सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराना।	13 नवम्बर, 2025 से 18 नवम्बर, 2025 तक
13	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा	08 नवम्बर, 2025 से 25 नवम्बर, 2025 तक

	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	
14	**मांग सृजन** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	27 नवम्बर, 2025
15	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/NPCI से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	28 नवम्बर, 2025

3- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुए सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों को पोर्टल खोलते हुए समयान्तर्गत छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) का भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

31/10/2025

(एस0पी0 गोयल)
मुख्य सचिव।

पृ0सं0 एवं दिनाक तदैव।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।